UPBH010030562021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), बहराइच।
उपस्थितः वरुण मोहित निगम, उच्चतर न्यायिक सेवा (उ०प्र०)
{J. O. Code No.- UP-1551}
परिवाद सं०- 70/2021
श्रीमती सहनाज ----बनाम---- मो० कमरुद्दीन उर्फ पाम हाफिज आदि।
थाना- कोतवाली देहात, जनपद- बहराइच।

27.06.2023

पत्रावली तलबी आदेश हेतु नियत है। परिवादिनी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

परिवादिनी का संक्षेप में परिवाद कथन है कि परिवादिनी सीधी सादी पर्दानशीन महिला है। उसके पति को दुर्घटना में सिर में आयी गम्भीर चोट के कारण कम सुनाई देता है और वह दिमागी तौर से पूरी तरह से विक्षिप्त रहते हैं और कुछ भी अच्छा-बुरा सोचने-समझने लायक नहीं है। विपक्षीगण निहायत ही सरकश जालसाज एवं भू-माफिया किस्म के लोग हैं। उक्त विपक्षीगण उसके पति को बहला-फुसलाकर और दो लाख रुपये दिलवा देने के लिए कहकर चुपके से कहीं लेकर चले गये और कई दिनों तक छिपाकर रखा। जब उसके पति घर आये तो उसने पूछा कि कहाँ थे तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि विपक्षीगण ने उनको बंधक बनाकर रखकर मारा-पीटा है। परिवादिनी ने समझा कि वैसे ही कोई विवाद हुआ होगा, किन्तु उसके पति के पास कुछ रुपये थे, जिसे विपक्षीगण ने उसके पति से जबरन ले लिया था। परिवादिनी को कुछ समय बाद उड़ती हुई खबर मिली कि जिस समय विपक्षीगण ने उसके पति को अपनी बेजा हिरासत में रखा था, उस समय उनसे भूमि का बैनामा लिखवा लिया था, जिसकी छानबीन करने परिवादिनी तहसील महसी गयी, साथ में नूर अहमद, साबिर अली व गाँव के एक और लोग गये, तब पता चला कि दिनाँक 18.03.2021 को जाल व फ्राड, धोखाधड़ी करके एवं बिना प्रतिफल के एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से गाटा सं०- 235/6 रकबा 0.133 हे० भूमि स्थित ग्राम मोगलहा जो सरकारी अभिलेखों में उसके पति के नाम दर्ज है, का बैनामा कमरुद्दीन ने अपनी माँ श्रीमती रूब्बन के नाम करा लिया है, जिसमें असलम खां व अन्य व्यक्ति जो तहसील महसी में बैठते हैं, की मिलीभगत है। उक्त बैनामे की जानकारी होने पर परिवादिनी ने दिनाँक 22.03.2021 को ही बैनामे की नकल प्राप्त करने का आवेदन दिया और नकल प्राप्त किया तथा दिनाँक 25.03.2021 को तहसीलदार महसी के समक्ष हाजिर होकर भूमि की दाखिल खारिज न किये जाने हेतु आपत्ति दाखिल किया तथा वापस आकर परिवादिनी ने विपक्षीगण से सम्पर्क किया, जिस पर उन लोगों ने गलती की माफी मांगी और कहा कि वह जमीन वापस कर देगा। परिवादिनी इंतजार करती रही तथा दबाब बनने पर विपक्षीगण ने कहा कि वे बैनामा तो करेंगे, किन्तु इसकी एवज में मु० 4,00,000/- (चार लाख रुपये) लेंगे और यह भी कहा कि दलालों को देने हेतु उन लोगों को मु० 30,000/- (तीस हजार रुपये) चाहिये। परिवादिनी ने अपनी जमीन वापस लेने के इरादे से विपक्षीगण को मु० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) की चेक तथा एक ब्लैंक चेक तथा नगद मु० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) विपक्षीगण को दे दिया, तब से वह बराबर अपनी जमीन को वापस करने के लिए विपक्षीगण से कहती रही, किन्तु बराबर वह लोग टालते

रहे, जिस पर परिवादिनी ने बैंक जाकर चेक पर पेमेन्ट स्टाप लगा दिया है, किन्तु मु० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) अब भी विपक्षीगण जमीन के साथ-साथ हजम किये हुये हैं। जब परिवादिनी ने विपक्षीगण पर ज्यादा दबाव बनाया तो दिनांक 14.06.2021 को प्रातः 09:30 बजे विपक्षीगण उसके घर पर आये, उसने समझा कि बैनामा करने के लिये चलेंगे, किन्तु विपक्षीगण ने उसके घर में घुसकर तमाम बुरी-बुरी गालियां एवं जान से मार डालने की धमकी देनी शुरु कर दिया और उसको मारने लगे तथा कहा कि अब जमीन उन लोगों ने लिखवा लिया है, न जमीन वापस करेंगे और न मु० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) ही देंगे, जिस समय परिवादिनी को मार रहे थे, उसकी अवयस्क पुत्रियाँ पीड़िता-1 उम्र लगभग 16 वर्ष व पीड़िता-2 उम्र 12 वर्ष उसे बचाने दौड़ी तो कमरुद्दीन ने उसकी बेटी पीड़िता-1 को मारा और अन्य बच्चियों को मारा तथा अवयस्क पीड़िता-1 व पीड़िता-2 के साथ विपक्षी कमरुद्दीन ने बुरी तरह से छेड़खानी किया और उन पर लैंगिक हमला किया, उनके अंग-प्रत्यंगों पर प्रहार किया और जब नूर अहमद व साबिर अली एवं गाँव के कई लोग दौड़े विपक्षीगण को डांटा तो वे आइन्दा जान से मार डालने की धमकी देकर एवं उसकी नाबालिग बेटियों को उठा ले जाने की धमकी देते हुए चले गये और उसके मु० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) एवं जाल-फ्राड करके जिस भूमि का बैनामा लिखाया है, को बेइमानी करके हड़प लिया है।

परिवादिनी ने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा मौखिक साक्ष्य में धारा- 200 द०प्र०सं० के तहत स्वयं को और पी०डब्लू०-1 के रूप में साक्षी स्वयं पीड़िता-1 एवं पी०डब्लू०-2 के रूप में साक्षी पीड़िता-2 को धारा- 202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया है।

परिवादिनी ने न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने सशपथ साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० में कथन किया है कि उसके पति को दुर्घटना में चोट लग गई थी, उनका दिमाग हल्का हो गया है, अपना अच्छा-बुरा नहीं सोच पाते हैं। उसके पति से कुछ पैसा विपक्षीगण ने लिया था, उसी को मांगने उसके पति गये थे। उनसे उनकी जमीन का बैनामा फर्जी तरीके से लिखवा लिया। उसके पता करने पर बात सही निकली। उसने विपक्षीगण से कहा तो जमीन वापस करने की बात कही। इसी को लेकर विपक्षीगण उसके घर में घुसकर उसे मारे-पीटे हैं, उसकी दो अवयस्क बेटियां बचाने आयीं तो विपक्षीगण ने उनके साथ छेड़-छाड़ व अश्लील हरकत की, गाली दी और बैनामा कराने से इंकार कर दिया।

साक्षी पी०डब्लू०-1 स्वयं पीड़िता-1 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये उसके सशपथ बयान में अभिकथित किया गया कि अब्दुल वाकिफ उसके पिता हैं, जो सिर में चोट लगने के कारण अपना अच्छा-बुरा नहीं सोच पाते हैं। सहनाज उसकी मम्मी हैं। उसके पिता को मो० कमरुद्दीन व रुब्बन बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चले गये, उसके पापा को बंद रखा, छिपाये रखा, बाद में पता चला कि उसके पापा से जाल फ्रॉड करके जमीन लिखवा लिया है। उसकी मां ने तहसील से बैनामे की नकल प्राप्त किया और कमरुद्दीन से पूछा कि ऐसा क्यों किया? इस पर कमरुद्दीन व रुब्बन ने जमीन वापस करने की बात कही। यह बैनामा असलम खां व एक श्रीवास्तव मुंशी, जिसका नाम वह नहीं जानती है, जिनकी मिलीभगत से बैनामा हो गया। जमीन वापस मिल जाये इसलिये उसकी मां से दो लाख चालीस हजार रुपये की चेक व नगद दो लाख रुपये और एक सादी चेक कमरुद्दीन ने ले लिया। पैसा हजम कर रखा था, जब दबाव बनाया गया तो दिनांक 14.06.2021 को 09:30 बजे सुबह कमरुद्दीन, रुब्बन, असलम खां व श्रीवास्तव मुंशी उसके घर आ गये। उन लोगों ने समझा बैनामा करने चलेगें किन्तु विपक्षीगण उसके घर में घुसकर तमाम बुरी-बुरी गालियां व जान से मारने की धमकी देने लगे। वह और उसकी छोटी बहन नूरबानो मां को बचाने दौड़ी, इस पर कमरुद्दीन ने उसे मारना शुरु कर दिया। उसकी बहन को मारा और उन दोनों पर लैंगिक हमला किया। उसके व बहन के स्तन पर प्रहार कर दिया। नूर अहमद व साबिर व गांव के कई लोगों ने आकर उन्हें बचाया विपक्षीगण उन लोगों को उठा ले जाने की

धमकी देकर चले गये और उनकी भूमि व नगदी को बेईमानी करके हजम किये हुए है। उसकी मां ने थाना कप्तान साहब को दरख्वास्त दिया और न्यायालय पर मुकदमा किया है। वह मुल्जिमान को पहले से जानती पहचानती है।

साक्षी पी०डब्लू०-2 नूरबानो पीड़िता-2 द्वारा भी न्यायालय के समक्ष दिये गये उसके सशपथ बयान में घटना दिनाँक 14.06.2021 को सुबह लगभग 09:30 बजे की होना, घटना वाले दिन कमरुद्दीन, रुब्बन, असलम व एक अन्य व्यक्ति का उसके घर पर आना, कमरुद्दीन ने उसके पापा से, जो दिमागी तौर से ठीक नहीं रहते हैं, कुछ जमीन जाल करके लिखवा लेना, मुल्जिमान द्वारा उसके घर में घुसकर उसकी मां को बुरी-बुरी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए मारने लगना, वह और उसकी बड़ी बहन बचाने दौड़े तो कमरुद्दीन, असलम द्वारा उन दोनों बहनों के साथ अश्लील हरकत करने लगना और उनके स्तन आदि पर हमला कर देना, तब तक नूर अहमद व साबिर अली व कई अन्य लोगों का पहुंच जाना, मुल्जिमान को डांटा तो उन लोगों का धमकी देते हुए चले जाना अभिकथित है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र, परिवाद पत्र के कथन एवं परिवादिनी के सशपथ बयान व साक्षीगण के द्वारा दिये गये बयानों तथा परिवादिनी की ओर से दाखिल अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

इस तरह से स्वयं परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र एवं न्यायालय के समक्ष दिये गये सशपथ बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० तथा बयान धारा-202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित साक्षीगण पी०डब्लू०-1 स्वयं पीड़िता-1 एवं पी०डब्लू०-2 स्वयं पीड़िता-2 के द्वारा अपने बयानों में परिवाद कथानक का समर्थन किया गया है।

परिवाद कथानक, परिवादिनी स्वयं तथा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के सशपथ बयानों के परिशीलन से प्रथम दृष्टया ज्ञात होता है कि परिवादिनी के पति को दुर्घटना में सिर में चोट लग जाने के कारण अपना भला बुरा न समझ पाना, विपक्षियों द्वारा उसके पति को बहला-फुसलाकर बंधक बना लेना और धोखाधड़ी करके जमीन का बैनामा लिखवा लेना, इस बाबत उसका तहसील महसी जाना, वहां पर मालूम होना कि दिनाँक 18.03.2021 को धोखाधड़ी करके उसके मानसिक बीमार पति से गाटा सं० 235/6 रकबा 0.133 हे० भूमि विपक्षी कमरुद्दीन द्वारा अपनी मां रुब्बन के नाम लिखवा लेना, उसमें असलम खां व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति की मिलीभगत होना, उसके द्वारा दिनाँक 25.03.2021 को तहसीलदार महसी के समक्ष दाखिल खारिज न किये जाने की आपत्ति करना, वापस आकर विपक्षीगण से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा माफी मांगना व जमीन वापस कर देने की बात कहना, बाद में जमीन वापस करने के नाम पर 4 लाख रुपये मांगना, उसके द्वारा 2 लाख 40 हजार रुपये की एक चेक, एक ब्लैंक चेक तथा नकद 2 लाख रुपये विपक्षीगण को देना, विपक्षीगण पर जमीन वापस करने का दबाव बनाने पर दिनाँक 14.06.2021 को सुबह 09:30 बजे विपक्षीगण मो० कमरुद्दीन उर्फ पाम हाफिज, रुब्बन, असलम खां व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उक्त घटना वाले दिन उसके घर में घुसना, उसको गालियां देना व मारने लगना, वहाँ मौजूद उसकी बेटियां पीड़िता-1 उम्र 18 वर्ष 11 माह 13 दिन व पीड़िता-2 उम्र 12 वर्ष 10 माह 28 दिन से छेड़-छाड़ कर लैंगिक हमला करना, उनके अंग प्रत्यंगों पर प्रहार करना, तभी गाँव के नूर अहमद, साबिर अली व अन्य कई लोगों के आने पर विपक्षीगण द्वारा जान-माल की धमकी देते हुए उसकी बेटियों को उठा ले जाने की बात कहते हुये भाग जाना अभिकथित है। यहाँ यह भी उल्लिखित करना समीचीन है कि परिवाद पत्र में परिवादिनी ने विपक्षीगण मो० कमरूद्दीन उर्फ पाम हाफिज, श्रीमती रूब्बन, असलम खाँ द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उपरोक्त घटना कारित करने का कथन किया है, जिसमें उस अज्ञात व्यक्ति का नाम व पता वर्णित नहीं है, इसलिए अज्ञात व्यक्ति का नाम व पता न होने के कारण उसे उपरोक्त विपक्षीगण के साथ तलब किया जाना सम्भव नहीं है।

तथाकथित पीड़िता-1 की उम्र के सम्बन्ध में पत्रावली में उसके आधारकार्ड की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 01.07.2002 अंकित है तथा परिवादिनी द्वारा परिवाद कथानक में पीड़िता-1 की उम्र 16 वर्ष एवं आधारकार्ड की संलग्न छायाप्रति के अनुसार उसकी उम्र 18 वर्ष 11 माह 13 दिन है, जिससे पीड़िता-1 प्रथम दृष्टया बालिग दर्शित होती है तथा पीड़िता-2 की उम्र के सम्बन्ध में पत्रावली में उसके आधारकार्ड की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 17.07.2008 अंकित है तथा परिवादिनी द्वारा परिवाद कथानक में पीड़िता-2 की उम्र 12 वर्ष एवं आधारकार्ड की संलग्न छायाप्रति के अनुसार उसकी उम्र 12 वर्ष 10 माह 28 दिन है, जिससे पीड़िता-2 प्रथम दृष्टया नाबालिग दर्शित होती है। पत्रावली के सम्यक रूपेण एवं परिवाद कथानक व साक्षीगण के बयानों के अवलोकन से तलबी के स्तर पर विपक्षीगण मो० कमरुद्दीन एवं असलम खां के द्वारा धारा- 452, 354, 323, 504, 506 भा०द०सं० व 9(g)/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का अपराध तथा विपक्षी श्रीमती रुब्बन के द्वारा धारा- 452, 323, 504, 506 भा०द०सं० का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण मो० कमरुद्दीन एवं असलम खां को धारा- 452, 354, 323, 504, 506 भा०द०सं० व 9(g)/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध में तथा विपक्षी श्रीमती रुब्बन को धारा- 452, 323, 504, 506 भा०द०सं० के अपराध में तलब किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण मो० कमरुद्दीन एवं असलम खां को **धारा- 452, 354, 323, 504, 506 भा०द०सं० व 9(g)/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** के अपराध में तथा विपक्षी श्रीमती रुब्बन को **धारा- 452, 323, 504, 506 भा०द०सं०** के अपराध में विचारण हेतु इस न्यायालय में तलब किया जाता है। परिवादिनी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 204 के प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित पैरवी अन्दर सप्ताह करें और साक्षीगण की सूची भी प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण/विपक्षीगण जरिये सम्मन दिनाँक 24.07.2023 को पेश हो।

(वरुण मोहित निगम)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
दिनाँकः 27.06.2023 (पॉक्सो ऐक्ट), बहराइच।

Digitally signed by VARUN MOHIT NIGAM
Date: 2023.06.27 12:33:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court